



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP02782292233613P
Certificate Issued Date	: 09-Jan-2017 02:28 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ LUCKNOW/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0103339384264533P
Purchased by	: NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: 16/COM-12, NEAR TRAUMA CENTER, SECTOR-16, VRINDAVAN YOJANA, LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	: 2,91,80,178 (Two Crore Ninety One Lakh Eighty Thousand One Hundred And Seventy Eight only)
First Party	: UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	: NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Stamp Duty Paid By	: NGK INFRAVENTURES PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 20,42,700 (Twenty Lakh Forty Two Thousand Seven Hundred only)



.....Please write or type below this line.....



आविर्ती

Spurao deep dhyt



वृन्दावन योजना, लखनऊ

VO 0005312995

Stamp

1. The authenticity of an e-Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
					<i>[Signature]</i> क्रेता / प्रस्तुतकर्ता मेसर्स एन.डी.के. इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा. लि. निवासी - (नरहरी) बी. शृंगार - गौ. काला लखनऊ	 आवटा
					सम्पत्ति विकास सहयोगिता विकास लखनऊ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ	 सम्पत्ति प्रबंधक वृन्दावन योजना, लखनऊ
					<i>[Signature]</i> उमेश कुमार सिंह A-38/24 मुल्तान आवास रोड, गेजेट्री गाम मिर्जापुर लखनऊ	
					<i>[Signature]</i> उमेश कुमार सिंह रायबरेली रोड लखनऊ	



आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या.....

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक.....

प्रति,
श्री. एन. सी. मी. इंग्रज साहू
निवासी - एन. सी. मी. इंग्रज साहू
लखनऊ

विषय : भवन/मुखण्ड संख्या 16/COM-12 के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/मुखण्ड संख्या 16/COM-12 का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख रु० 20,42,700 के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि पूर्ण रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया 25 दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिनों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/मुखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा नियम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
एन. सी. मी. इंग्रज साहू

सं० ५९७ /उक्त/

तद दिनांक ०१/१२/१७

प्रति,
सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनाार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
एन. सी. मी. इंग्रज साहू



भारत सरकार
Ministry of Identification, Government of India

Enrollment No: 1207110102120

To,
 Shri. Nigam
 Gulam Abbas
 8/1 Dargah
 84745
 Wazirpur, Jalandhar, Punjab
 191001
 UTHARAKOTA
 Lucknow
 Uthar Pradesh 226005
 84801403

Revised 10/1/2003 / 2003.11.14



आपका आधिकारिक पत्र / Your Official No.

4789 3222 5394

आधार — आम आदमी न! अधिकार



कुलम विद्यार्थी
Gulam Majeed
वर्ग / Year of Study : 100
पुल / Male

4709 3222 3394

आम्हार — आम आदमी वम अधिकार

Shirley
Johnson
446001116
770503557



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



Umesh Pratap Singh

उमेश प्रताप सिंह

जन्म तिथि/DOB:

07-07-1977

पुरुष / MALE



7816 2869 8487

आधार - आम आदमी का अधिकार

~~उमेश/8~~ 9292430851



पता

S/O नगर बहादुर सिंह, ए/36/24, मुख्य
जलम, सेक्टर 1, गोमती नगर विस्तार,
रावलीनगर, लखनऊ, लखनऊ,
UPIN-226010

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

Address:

S/O Sanjay Bahadur Singh, ASM/24,
Sulabh vihar, sector 1, gomati nagar
vihar, Gomtinagar, Lucknow,
Lucknow,
UPIN-226010



1800 300 1047



help@uidai.gov.in



www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1047
Bengaluru-560 001

UNION OF INDIA **Driving Licence**

(UP) (NT)

UP32-20059020767



Self with all rights
Date of issue
22/10/2005
Date of birth
05/04/1987

Valid until
21/10/2025
Blood Group
Unknown



Sex / Name

GAURAV DEEP SINGH

Holder as son / son-in-law / daughter / daughter-in-law

GURBACHAN SINGH

Gaurav Deep Singh
9935541056

UP32 20059020767

UP32-20059020767



MV
02/005



TW
22/10/2005



(UP)

Form 1 (Rev. 10.03)

Res. / Address

**4 C.B. SINGH NAGAR
LAMBAGH
LUCKNOW - 226005**

Holder's Signature

[Signature]
Issued / Issuing Authority Sign
Lucknow

Form 26QB

Your E-filing Acknowledgement Number is AD4617686

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

Tax Applicable	0020	Assessment Year	2017-18
Minor Head Code	800	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferee(Payer/Buyer)	AAECN8857F	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller)	AAAU0163A
Full Name of the Transferee	N.G.K. INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferee		Complete Address of the Property Transferor	
Name of premises/Building/ Village	BARULI KHALILABAD	Name of premises/Building/ Village	UP AVAS AVAM VIKAS PARISHAD
Flat/Door/Block No.	SECTOR 11B R B ROAD	Flat/Door/Block No.	OFFICE COMPLEX
Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJANA	Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJANA
City/District	LUCKNOW	City/District	LUCKNOW
State	UTTAR PRADESH	State	UTTAR PRADESH
Pin Code	226024	Pin Code	226024
Email ID	AD.VISHVAJEET.LKO@GMAIL.COM	Email ID	
Mobile No.	9838789388	Mobile No.	

Date of Agreement/Booking	24/03/2016	Whether more than one Transferee/Buyer	No
Date of Payment/Credit	21/07/2016	Whether more than one Transferor/Seller	No
Date of Tax Deduction	21/07/2016	Payment Type	Installments

Complete Address of the Property Transferred		Tax Deposit Details	
Type of Property	Land	Rate (in %)	1
Name of premises/Building/ Village	SECTOR 15/COM	Total Amount Paid/Credited	5838476
Flat/Door/Block No.		TDS Amount to be paid	58385
Road/Street/Lane	VRINDAVAN YOJANA	Interest	1460
City/District	LUCKNOW	Fee	0
State	UTTAR PRADESH	Total payment	59845.00
Pin Code	226024	Value in words	Fifty Nine Thousand Eight Hundred and Forty Five Rupees and paise

Total Value of Consideration (Property Value)	5838476
Mode of Payment	Online
Bank Name	ICICI Bank

This Acknowledgement is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted to Tax Information Network (TIN). This cannot be used as proof of payment of taxes.

For more information visit www.etraces.in or call 1800-120-1000 or 011-26122900

Signature
आवंती

Signature
सम्पति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

Form 26QB

Your E-tax Acknowledgement Number is AD7144185

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after about 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

Tax Applicability	0020	Assessment Year	2017-18
Major Head Code	800	Financial Year	2016-17
Permanent Account No. (PAN) of Transferee (Payee/Buyer)	AAECN8857F	Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payer/Seller)	AAAJU0103A
Full Name of the Transferee	N.G.K. INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED	Full Name of the Transferor	UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Category of Transferee on the basis of PAN	Company	Category of Transferor on the basis of PAN	Artificial Juridical Person
Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN	Status of PAN as per ITD PAN Master	Active PAN

Complete Address of the Property Transferee

Name of premises/Building/Village: BABULI KHALILAHAD
 Flat/Door/Block No.: SEC 11B VRINDAVAN YOJANA
 Road/Street/Lane: RAE BAREILLY ROAD
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024
 Email ID: AD.VISHVAJEET.LK06@GMAIL.COM
 Mobile No.: 9819780168

Complete Address of the Property Transferor

Name of premises/Building/Village: UP AVAS AWAM VIKAS PARISH
 Flat/Door/Block No.: OFFICE COMPLEX
 Road/Street/Lane: VRINDAVAN YOJANA
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024
 Email ID:
 Mobile No.:

Date of Agreement/Booking: 29/03/2016
 Date of Payment/Credit: 21/07/2016
 Date of Tax Deduction: 21/07/2016

Whether more than one Transferee/Buyer: No
 Whether more than one Transferor/Seller: No
 Payment Type: Installments

Complete Address of the Property Transferred

Type of Property: Land
 Name of premises/Building/Village: SECTOR 16/COM 12
 Flat/Door/Block No.:
 Road/Street/Lane: VRINDAVAN YOJANA
 City/District: LUCKNOW
 State: UTTAR PRADESH
 Pin Code: 226024

Tax Deposit Details

Rate (in %): 1
 Total Amount Paid/Credited: 2915800
 TDS Amount to be paid: 29158
 Interest: 3645
 Fee: 0
 Total payment: 32803.00
 Value in words: Thirty Two Thousand Eight Hundred Three Rupees and paise

Value of Consideration (Property Value): 2915800
 Mode of Payment: Online
 Bank Name: ICICI Bank

समयानि प्रमाणित
 वृन्दावन योजना, लखनऊ

पूरा रूप
 आवडी

आवडी प्रमाणित करत आहे. The information furnished herein is based on the data of the property submitted by the taxpayer. This cannot be guaranteed by the Income Tax Department. (TIN). This cannot be guaranteed by the Income Tax Department.

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
व्यवसायिक भूखण्ड के लिए किराया-किस्त कय किरायेदारी का अनुबन्ध

यह अनुबन्ध आज दिनांक 01 माह फरवरी दो हजार 17 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन संगठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के जिसे एतदपरचात 'स्वामी' कहा गया है, जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि कोई बात प्रसंग से असंगत न हो, उसका उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है या जिसका तात्पर्य उसके उत्तराधिकारी या समनुदेशिती भी है।

माध्यम से होता है। एक पक्ष और मैसर्स एन0जी0के0 इन्फावेन्चर्स प्रा0लि0 निवासी-एन0सी0बी0 शृंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ की ओर से श्री गौरवदीप सिंह जिसे एतदपरचात किराया-किस्त कंता कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपरचात यथा उपबोधित अनुमोदित नाम निर्देशिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञाप्राप्त समनुदेशिती भी है दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की एक व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन योजना के अधीन किराया-किस्त कय योजना के अधीन किराया किस्त कंता ने स्वामी से किराया किस्त कय योजना के अधीन एक व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन करने के लिये पृथक रूप से आवेदन किया है और स्वामी ने एतदपरचात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया-किस्त कंता को भूखण्ड का आवंटन करने के लिए आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि किराया-किस्त कंता ने ₹0 8754054.00 (शब्दों में केवल ₹0 अट्ठावन लाख अड़तीस हजार दो सौ चौवन मात्र) का भुगतान प्रथम किस्त के रूप में कर दिया है जिसमें पंजीकरण की जमा ब्याना इन्सुरेंस एवं उस पर अर्जित ब्याज सम्मिलित है। इस धनराशि में से किराया किस्त कंता ने प्रदेशन पत्र के अनुसार 1% धनराशि काट कर आयकर विभाग में परिषद के बैंक खाता सं0 AAAJU0103A में जमा कराकर फार्म 26 Q.B प्रस्तुत किया है।

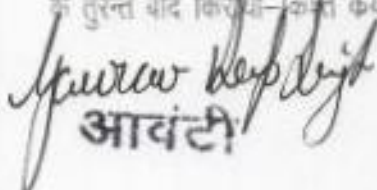
उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं0 16/COM-12 का कुल मूल्य ₹0 2,91,80,178.00 (₹0 दो करोड़ इक्यान्ने लाख अस्सी हजार एक सौ अट्ठत्तर मात्र) जिसका अर्धा ₹0 1,45,90,089.00 (₹0 एक करोड़ पैतालौस लाख नब्बे हजार नवासी मात्र) होता है। आवंटनी द्वारा यदि किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें नियमानुसार ब्याज/दण्ड ब्याज भी देय होगा।

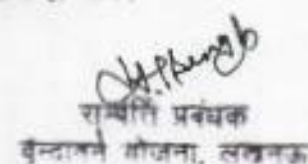
अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतदबास किराया-किस्त कंता से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया-किस्त भी एतदद्वारा स्वामी से निम्नलिखित शर्तों से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात्।

1. किराया -किस्त कंता को व्यवसायिक भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या 16/COM-12 है और जो वृन्दावन योजना संख्या-4 सेक्टर संख्या- 16 में स्थित है। और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिये इसमें आने दी गयी अनुसूची-एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2. किराया-किस्त कंता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों के अधीन 72 (मासिक) की एक निश्चित अवधि तक ग्रहीत करेगा जो वर्ष दो हजार सोलह के नवम्बर-16 मास के प्रथम दिनांक से प्रारम्भ होगी और वर्ष 2022 के अक्टूबर मास के अन्तिम दिनांक को समाप्त होगी:-

(क) किराया-किस्त-कंता ₹0 4,32,013.00 केवल (₹0 चार लाख बत्तीस हजार तेरह मात्र) की मासिक किस्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उसी माह में जिसमें मासिक किस्त देय हो जाय, प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक तक स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसमें ऊपर उल्लिखित किराया -किस्त कंता द्वारा पहले ही कर दिया गया और जिसे माह नवम्बर-16 की प्रथम किस्त के रूप में समझा जाय और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2016 के माह के दिसम्बर-16 के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कैलेंडर मास के तुरन्त बाद किराया-किस्त कय की अवधि तक देय हो जाय या भुगतान योग्य हो जाय।


आवंटी


राजेश प्रबोधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 2 पर

ख. किराया-किश्त को आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगरपालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, प्रभार निर्धारित कर ऐसे अन्य उदग्रहणकी धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अभिकरणद्वारा उसके सम्बन्ध में भू-स्वामी या किरायेदार को एतद्वारा किराये पर दी गयी उक्त सम्पत्ति पर लगाई गयी हो, प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। किराया-कंटा-स्वामी को सम्पत्ति कर, जल प्रभार, सीवर व्यवस्था के प्रभार का, जैसा कि स्वामी द्वारा समय-समय पर उदग्रहीत किया जाय, भुगतान करेगा। परन्तु किराया-किश्त कंटा की ओर से ऐसा भुगतान न किये जाने की दशा में स्वामी का ऐसी देय धनराशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में या ऐसी अन्य रीति से जो विधि संगत हो, वसूल करने और उसे किश्त के बकाये के रूप में मानने की शक्ति होगी।

ग. किराया-किश्त कंटा उक्त सम्पत्ति के साथ-साथ सम्भरण, जल निस्सारण, विजली और किन्हीं ऐसी अन्य सेवाओं से सम्बन्धित उसके प्रतिष्ठानों की मरम्मत (जिस पद के अन्तर्गत सामान्य और आवश्यक वार्षिक भीतरी और बाहरी रंगाई और पुताई, सफाई भी)। स्वामी के या ऐसे व्यक्ति के जिसे स्वामी इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, समाधानप्रद रूप से स्वयं अपने खर्च पर करावेगा और उसे समुचित रूप से ठीक दशा और स्थिति में रखेगा।

घ. किराया-किश्त कंटा ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई बात नहीं करेगा या करने देगा जो स्वामी या उसी कालोनी के अन्य व्यवसायिक भूखण्डों के अध्यासियों की या पड़ोसियों की राय में लोक कण्ठक हो और जो उस प्रयोजन के अनुरूप न हो जिसके लिये योजना बनाई गई।

ड. किराया-किश्त कंटा एतद्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने की मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई साम्प्रतिक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किराया-किश्त कंटा के खर्च पर कर वा सकता है और किराया-किश्त कंटा एतद्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है।

च. किराया किश्त कंटा स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मचारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप - लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिये कोई सर्विस लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निश्चित स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ-साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गयी किसी सर्विस लाइन से किन्हीं अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिये आवश्यक हो।

छ. किराया-किश्त कंटा स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी को लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा। परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिये ऐसी अनुमति देने से इन्कार कर सकता है और उस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

ज. किराया-किश्त कंटा, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्पष्ट विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा। परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी बातों के लिये स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुमन्य नहीं होगा जहां समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

झ. किराया-किश्त कंटा इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसमें नीचे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

Amrta Singh
आवंटी

Amrta Singh
राज्यीय प्रबंधक
इन्दावन योजना, लखनऊ

कमरा: 3 पर

अकिराया-किश्त कंता किसी भी स्तर पर किन्हीं भी कारणों से चाहे जो भी हो, जैसा कि योजना में सम्पत्ति के विभव के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से उपबन्धित है, सम्पत्ति के बारे में ऐसी शिकायत करने से विरत रहेगा जिससे आपत्तियाँ उठें या दावे प्रस्तुत किये जायें।

ट.किराया किश्त कंता इस योजना के अधीन उस पर आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध-पत्र के पक्षकारों के बीच एतदद्वारा सहमति है।

ठ.उक्त सम्पत्ति में किराया-किश्त कंता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-किश्त कंता एतदद्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है।

ड.किराया-किश्त कंता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है। परन्तु इस अनुबन्ध के प्रवृत्त रहने तक किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि भूखण्ड, उपयोग के कारण उचित टूट-फूट को छोड़कर, उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किराया-किश्त कंता का यह कर्तव्य होगा कि वह भवन को पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिये आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अतिवार्ध रूप से बीमा कराया जायेगा आग लग जाने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

ढ. किराया-किश्त कंता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिनी को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाने के स्थिति में भूखण्ड/भवन के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी सम्मिलित है, अपना अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा स्वामी किराया-किश्त कंता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्वामी और सार्वजनिक निकायों के प्रति किराया-किश्त कंता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बध्यता के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को विखण्डित किया जा सकता है और किराया-किश्त कंता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है परन्तु किराया-किश्त कंता द्वारा ऐसा नाम निर्देशन न किये जाने पर किराया-किश्त कंता के वारिस/वारिसों का स्वामी द्वारा इस विलेख के हिताधिकारी/हिताधिकारियों के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

ण.किराया-किश्त कंता सभी देयों का जिनका भुगतान इस विलेख के अनुसरण में उसके द्वारा किया जाना अपेक्षित है, पूरा और नियमित भुगतान करेगा किश्तों के भुगतान के लिये उनके देय होने के दिनांक से एक मास की छूट दी जायेगी।

वह किश्त में सम्मिलित साधारण ब्याज के अतिरिक्त प्रदेशन पत्र में उल्लिखित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज के भुगतान का देनदार होगा। यदि भुगतान छूट की अवधि के भीतर न किया जाय तो किराया-किश्त कंता तदनुसार किश्तों के वस्तुतः देय होने के दिनांक से निर्धारित 17 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का देनदार होगा लगातार तीन से अधिक किश्तों का भुगतान करने में व्यक्ति कम होने की दशा में किरायेदारी समाप्त समझी जायेगी और कंता को बेदखल किया जा सकेगा। स्वामी को देय समस्त बकाया धनराशि को भू-राजस्व के रूप में या ऐसी अन्य रीति से, जिसका विधि समर्थन करे, वसूल किया जा सकेगा। किराया-किश्त का जल सम्पूर्ति कनेक्शन तथा विद्युत कनेक्शन भी विच्छेदन किया जा सकेगा तथा निर्धारित शर्तों प्रकिया से पुनः संयोजन किया जा सकेगा।

त.यदि किराया-किश्त कंता सम्पत्ति या साझा भावा या साझा सेवाओं का उपयोग इस ढंग से करता है कि उसे क्षति पहुँचे या उसका क्षय हो या गलत कार्य के लिये उसका उपयोग हो, तो किराया-किश्त कंता ऐसी क्षति, क्षय होने या गलत उपयोग किये जाने के लिये स्वामी या पंजीकृत अभिकरण की तत्सम्बन्धी प्रभार का भुगतान करेगा।

थ.यदि किराया-किश्त कंता किराया-किश्त कय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतदद्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिये स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी सभी देयों के साथ-साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया-किश्त कंता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

Spura Deep Singh
आवंटी

अ.स.स.स.
सम्पत्ति प्रबंधक
भुगतान योजना, लखनऊ

कमरा: 4 पर

द.इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई जांच की जायगी तो यदि आवश्यक हो, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा, किराया-किश्त-क्रेता द्वारा गुप्त हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन के लिये उसके द्वारा दिये गये आवंटन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों का छिपाया गया हो तो स्वामी के लिये किराया-किश्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधि पूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। और किराया-किश्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गयी धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

ध.स्वामी एतद्वारा सहमत है कि किराया-किश्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गयी सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विज या बाधा के सिवाय उक्त सम्पत्ति को किरायेदार के रूप में शान्तिपूर्वक ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा। इसमें इसके पूर्व दी गयी किसी बात के होते हुये भी किरायेदार एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता के मूल्य में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के प्रतिकार में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतदपश्चात विनिश्चय किया जाए, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमति है ऐसा भुगतान व्यय में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जाएगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

न.उक्त भूखण्ड का किराया-किश्त क्रेता एतद्वारा आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया-किश्त क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराएगा।

3.स्वामी एतद्वारा किराया-किश्त क्रेता को किराया-किश्त क्रेता की अवधि की समाप्ति के पश्चात विहित प्रपत्र में उसके साथ हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है, परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और सार्वजनिक निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया-किश्त क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और पैरा 5 में यथा उपबन्धित निष्पादित किये जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

4.हस्तान्तरण विलेख सामान्यतः स्वामी द्वारा किराया-किश्त क्रेता की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया-किश्त क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का स्वामित्व उसमें निहित करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया-किश्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण-विलेख निष्पादित करेगा।

5.यदि उक्त विनियमों और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेगा और किराया-किश्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक ऐसा विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

अनुसूची-1

वृन्दावन योजना लखनऊ स्थित निर्माण खण्ड-31 के सभी व्यवसायिक भूखण्ड जिसकी संख्या 16/COM-12 एवं भूमि का क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मी० है। सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है:-

सम्पत्तिसं० श्रेणी 16/COM-12 व्यवसायिक भूखण्ड

सीमाएँ:-उत्तर- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-13

दक्षिण- 45.00 मी० चौड़ी सड़क

पूर्व- व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-11

पश्चिम- 18.00 मी० चौड़ी सड़क

क्षेत्रफल 739.60 वर्ग मीटर

उत्तर- 21.50 मीटर

दक्षिण- 21.50 मीटर

पूर्व- 34.40 मीटर

पश्चिम- 34.40 मीटर

इस व्यवसायिक भूखण्ड के किराया किश्त क्रेता अनुबन्ध पर परिषद की ओर से श्री हेतम पाल सिंह, सम्पत्ति प्रबन्धक ने तथा मैसर्स एन०जी०के० इन्फ्रावेन्चर्स प्रा०लि० की ओर से श्री गौरवदीप सिंह आशयिता व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-12 ने स्वयं स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये हैं।

Heetam Pal Singh
आवंटी

Ch. R. Singh
सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना, लखनऊ

क्रमशः 5 पर

29,180,178.00 विक्रय अनुबंध विलेख (चक्रा) 8,754,054.00 20,000.00 60 20,060.00 14

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फॉर्म रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग पृष्ठों की संख्या
श्री मे. एन. जी. के. इन्फ्रा. प्रा० लि० डा. गौरवदीप सिंह
पुत्र श्री
व्यवसाय व्यापार
निवासी एन. सी. वी. श्रंगार नगर आलमबाग लखनऊ
अवधी पता



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/2/2017 समय 1:17PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस. वी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ

3/2/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद मुनिने व समयाने नलमन, व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ० प्रा० आ० लि० प्रा० द्वारा हेतम पाल सिंह स० प्रा० अ० ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

क्रेता

श्री मे. एन. जी. के. इन्फ्रा. प्रा० लि० डा. गौरवदीप सिंह
पुत्र श्री
पेशा व्यापार
निवासी एन. सी. वी. श्रंगार नगर आलमबाग लखनऊ



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान उमेश प्रताप सिंह
रव० समर बहादुर सिंह

पेशा व्यापार

निवासी ए-38/24 सुलभ आवास से-1 गोमती नगर विस्तार

व गुलाम मोहम्मद योजना सहा० आ० लि० प्रा०

पेशा नौकरी

निवासी

ने की।

प्रत्यक्ष भद्र बाकियों के निशान अंगुठे निबन्धानुसार लिखे गये हैं।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस. वी. सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/2/2017

(5)
अनुसूची-2

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके साथ में इसके पक्षकारों के उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किए :-
स्थान लखनऊ
दिनांक

प्रथम साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर : NAGINDER KAHLON
2-नाम : NAGINDER KAHLON
3-पता : H No 209 SECTOR 21A
CHANDIGARH



किराया किश्त केंता का
(सुपाद्य हस्ताक्षर और पता)

हस्ताक्षर :

द्वितीय साक्षी हस्ताक्षर

1-हस्ताक्षर :
2-नाम : उमेश प्रकाश सिंह
3-पता : 1-38/36, सुप्रभावास
हो-1, मेमरी 131, मिर्जापुर, लखनऊ

हस्ताक्षर :
2-नाम : मैसर्स एन0जी0के0 इन्फ्रावेन्चर्स प्रा0लि0
निवासी-एन0सी0बी0 श्रृंगार नगर, आलमबाग,
लखनऊ की ओर से श्री गौरव दीप सिंह

प्रथम साक्षी

1-हस्ताक्षर :
2-नाम : एन0एन0 शक्ला
3-पता : कनिष्ठ सहारा

परिषद की ओर से एवं उसके लिए

हस्ताक्षर :
समिति प्रमुख
कुंदावन योजना, लखनऊ

द्वितीय साक्षी

1-हस्ताक्षर :
2-नाम :
3-पता :

किरायेदारी सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) यह उपबन्ध किराया-किश्त केंता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ-साथ उसके फ्लैट/भूखण्ड/भवन का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक-पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (2) किराया-किश्त केंता अपने फ्लैट/भवन/भूखण्ड के भीतर, कूड़े, रद्दी कागजों, बुहारन, रसोईघर और भोजन की अपशिष्ट सामग्री, कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को एक ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।
- (3) ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखारें बिना, इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर डालेगा।
- (4) स्नानघर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा-करकट, रद्दी कागज, बुहारन या इसी प्रकार की चीजों से रुकने न पावे।
- (5) किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया-किश्त केंता के फ्लैट/भवन/भूखण्ड के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।
- (6) भूखण्ड के साझे के भाग खुले स्थान का उपयोग मूत्रालय के रूप में नहीं किया जायेगा।



हस्ताक्षर :
समिति प्रमुख
कुंदावन योजना, लखनऊ

જા.નં.

Registration No. : 1268

Year : 2017

Book No. :

1

0201 ડૉ.પ્રા.વી.કે.કાન્નૈયાળો નિબંધ નિવૃત્તીય નિધે

પ્રા.વી.કે.કાન્નૈયાળો નિબંધ નિવૃત્તીય નિધે

નિબંધ



(7)किराया-किश्त कंटा के फ्लैट/भवन/भूखण्ड या साझा भाग के या सड़क के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बिखेरा जायेगा और चारों ओर पास-पड़ोस को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

(8)फ्लैट/भवन/भूखण्ड के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील, या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डार या ढेर लगाने के लिये नहीं किया जायेगा।

(9)भूखण्ड के किसी भाग में एक दुधारु गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

(10)प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

(11)प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की लाइन और उसकी प्रतिष्ठापन को किसी से कोई बिगाड़ने न पाये।

(12)सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे साझा गलियारा, साझा रास्ता, सीढ़ियाँ, घबूतरा प्रवेश मार्ग बनाने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

(13)परिसर में कोई वाहन लाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्वाह आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

(14)उपयुक्त किसी भी अनुबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसी उल्लंघन के लिए किराया-किश्त कंटा के विरुद्ध उनके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

(15) व्यवसायिक भूखण्डों से सम्बन्धित सभी नियम व शर्तें जो समय-समय पर लागू हो, मान्य होगी।

नोट-(1) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 एवं शासनादेश संख्या- 772/स्टाम्प लिपिक-2015 दिनांक 15.12.2015 के अन्तर्गत 7% की दर से ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP02782292233613P दिनांक 09/01/2017 द्वारा रु० 20,42,700.00 के प्रमाण पत्र पर किश्त किरायेदारी अनुबन्ध निष्पादित किया जा रहा है।

नोट-(2) उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धक अनुभाग-5 सं०नि०क०नि० 5-3757/11-2010-500(100)-2008 दिनांक 16-11-2011 द्वारा किश्त किरायेदारी अनुबन्ध परिषद दर पर निष्पादित किया जा रहा है।

नोट-(2) उक्त व्यवसायिक भूखण्ड सं० 16/COM-12, का मांग पत्र संख्या 200 दिनांक 13.01.2017 को निर्गत के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन कर एवं निबन्धन अनुभाग-7, आदेश संख्या- 13/संख्या-क०नि०-7-440/11-2015-700(111)/13 लखनऊ दिनांक 30, मार्च, 2015 के शासनादेश अनुसार किराया-किश्त क्रय किरायेदारी अनुबन्ध एक वर्ष के अन्दर निष्पादित किया जा रहा है।

हस्ताक्षर-

नाम

मैसर्स एन०जी०क० इन्फोवेन्चर्स प्रा०लि०

निवासी-एन०सी०बी० शृंगार नगर, आलमबाग, लखनऊ

की ओर से श्री गौरव दीप सिंह

(हितम पाल सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

सुन्दारवन योजना, लखनऊ

गवाह

Registration No.: 1268

Year : 2017

Book No. : 1

W1 उमेश प्रताप सिंह
स्व० समर बहादुर सिंह
ए-38/24 सुलम आवास से-1 गोमती नगर विस्तार लखनऊ
व्यापार



W2 गुलाम मोहम्मद योजना सहा० आ० वि० प०

नौकरी



IS 15700:2005



संयोजन प्रणालि

Office of The Executive Engineer
Construction Div.-31,
U.P.Housing & Development Board
Office Complex, Sec.9A, Vrindavan Yojna,
Lucknow

भारतीय मानक चिह्न

IS 15700



SITE PLAN OF HOUSE/PLOT NO. 16/COM-12

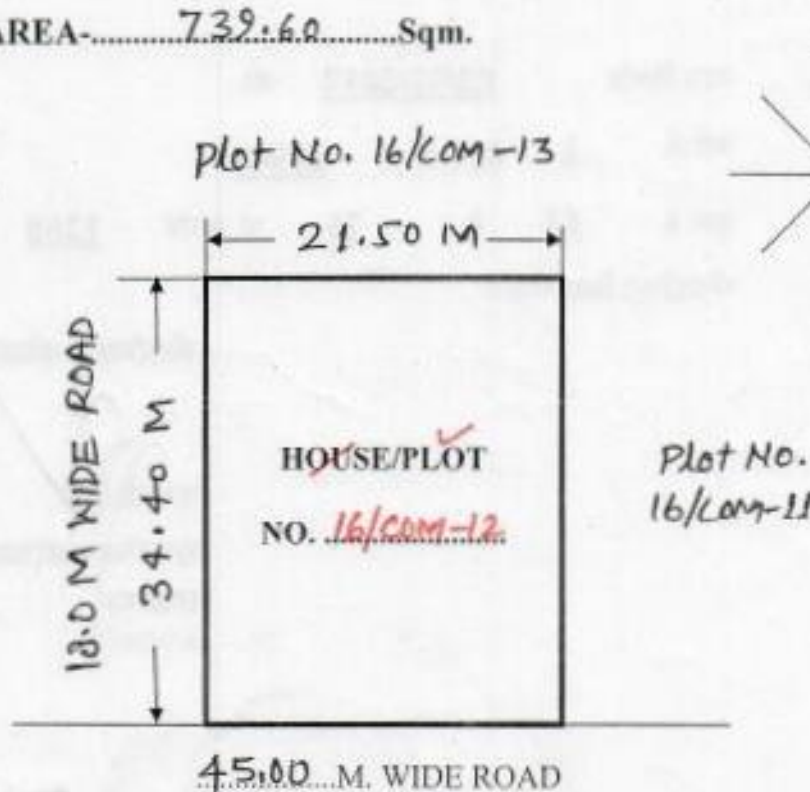
AT SECTOR-16 VRINDAVAN YOJNA NO. 4, LUCKNOW

OWNER SRI/SMT. मैसर्स एन.जी.के. इन्फ्रावेन्चर्स प्रा. लि.,

द्वारा श्री गौरवदीप सिंह,

PLOT SIZE 21.50 M x 34.40 M

TOTAL PLOT AREA-739.60 Sqm.



07.12.16
D/MAN

19/12/16
J.E.

24/12/16
A.E.

Approved
Nandakumar
ALLOTTED

संयोजन प्रणालि
E.M.O.
वृन्दावन योजना, लखनऊ

आज दिनांक 03/02/2017 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 21941

पृष्ठ सं. 63 से 76 पर क्रमांक 1268

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



एस.बी. सिंह

उप निबन्धक(प्रथम)

लखनऊ

3/2/2017



आई एस ओ प्रमाणित संस्था

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्

आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-९, प्रथम तल, वृन्दावन योजना, लखनऊ

संख्या ५९७

/सं०प्र० वृन्दावन योजना

दिनांक २१/२/१७

विषय में: मैसर्स एन. सी. के. इन्फ्रावे. चर्ल्स अर्णोल्ड
मिनाजी - एन. सी. सी. इन्फ्रावे. चर्ल्स अर्णोल्ड
लखनऊ

विषय: भवन/मुखण्ड संख्या १६/८००-१२ के विक्रय विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि आपके पक्ष में आवंटित भवन/मुखण्ड संख्या १६/८००-१२ का विक्रय विलेख/किराया क्रय विलेख सं० २०५२, ७०० के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया गया है जो कि मूल रूप में एवं एक छायाप्रति के साथ अन्य सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न कर इस आशय से दिया/भेजा जा रहा है कि कृपया २५ दिन के अन्दर सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में उपस्थिति होकर विलेख पंजीकृत कराकर विलेख की एक प्रमाणित प्रति तीन दिवसों के अन्दर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि भवन/मुखण्ड का कब्जा पत्र भौतिक कब्जे हेतु निर्गत किया जा सके अन्यथा परिषद् द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना/असुविक्त

सं० सं०

/उपस्थित/

तद दिनांक

नोटिफिकेशन: सब रजिस्ट्रार लखनऊ को उक्त सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सम्पत्ति प्रबंधक
वृन्दावन योजना/असुविक्त

भाग 1

अथवा पार्टी द्वारा रखा जाने वाला।

बक(प्रदान)

कन नं० 3177

या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

03-Feb-2017

समुत्कार्य या प्रार्थी का नाम

मे.एन०जी० के० इन्फ्रा.प्रा० लि० द्वारा, गौरवदीप सिंह

लेख का प्रकार

विक्रय अनुबंध विलेख (कबला)

प्रतिफल की धनराशि

29,180,918. / 0.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 20,000.0
2. प्रतिनिधिकरण शुल्क 60
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुकदमनामा के अधिप्राप्ति करण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. वार्षिक भत्ता

से 6 तक का योग

20,060.0

शुल्क प्रभुत्व करने का दिनांक

03-Feb-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र

साम्य करने के लिए तैयार किया

03-Feb-2017

ट्टीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वापस
h